रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11092021-229559
CG-DL-E-11092021-229559

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 388] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 10, 2021/भाद्र 19, 1943
No. 388] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 10, 2021/BHADRA 19, 1943

प्रसार भारती

(भारतीय प्रसारण निगम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2021

सं. एन-10/001(4)/2015-पीबीआरबी.—प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम,1990 (1990 का 25) की धारा 9 की उप धारा (2) और धारा 11 की उप-धारा (5) के साथ पठित धारा 33 की उप-धारा (2) के खण्ड (ग) तथा खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) (कनिष्ठ प्रशासिनक एवं समबद्ध पद) सेवा विनियम, 2002, जहां तक उनका संबंध प्रवर श्रेणी लिपिक तथा अवर श्रेणी लिपिक के पदों से है, तथा प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) (प्रधान लिपिक/सहायक) भर्ती विनियम 2013 के अधिक्रमण में,उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ– (1) इन विनियमों का नाम प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) कनिष्ठ प्रशासनिक पद भर्ती विनियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना: ये विनियम इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और पे मैट्रिक्स में लेवल- उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और पे मैट्रिक्स में लेवल वह होगा, जो इन विनियमों की संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (12) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. वरिष्ठता - इन विनियमों के तहत नियुक्त कर्मचारियों की परस्पर वरिष्ठता कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय समय पर जारी सामान्य निर्देशों के अनुसार होगी।

6. **निरर्हता** – वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि निगम का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के आधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

7. शिथिल करने की शक्ति- जहां निगम की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से इन विनियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा छूट दे सकेगा।

8. व्यावृति - इन विनियमों से इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, पूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के लिए प्रदान किए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

IndiaCode

अनुसूची

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. प्रधान लिपिक/सहायक	*561(2021) *पदों में परिवर्तन कार्यमात्रा के अधीन होगा। टिप्पणी: पदों की संख्या ग्रेड के लिए स्वीकृत पदों की कुल संख्या है और किसी भी समय यह निगम में प्रतिनियुक्तिवत सरकारी कर्मचारियों और निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या से अधिक नहीं होगी।	समूह'ख' के समकक्ष	लेवल 6 (रु. 35400-112400)	चयन पद	30 वर्ष से अधिक नहीं। (प्रसार भारती के कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट) **टिप्पणी:** आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि प्रसार भारती भर्ती बोर्ड द्वारा निकाली गई विज्ञप्ति के अनुसार होगी।

सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक व अन्य आवश्यक योग्यताएं।	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नत होने की स्थिति में लागू होगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है।	भर्ती का तरीका, चाहे सीधी भर्ती से हो या पदोन्नति से या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।
(7)	(8)	(9)	(10)
<u>आवश्यक:</u> (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री; (ii) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से टाइपिंग टेस्ट में उत्तीर्ण।	लागू नहीं।	दो वर्ष।	(i) पदोन्नति द्वारा 60%; (ii) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर पदोन्नति द्वारा 20%; (iii) सीधी भर्ती द्वारा 20% टिप्पणी 1: पदोन्नति कोटे में एक विशेष वर्ष में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को फीडर ग्रेड में दो श्रेणियों के कर्मचारियों द्वारा भरा जाएगा, अर्थात निगम में प्रतिनियुक्तिवत सरकारी कर्मचारी और निगम के अधिकारी और कर्मचारी, जैसा कि निगम द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन ग्रेड द्वारा भर्ती के मामले में जिसमें से पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो इसकी संरचना
(11)	(12)
1. पदोन्नति से: पे मैट्रिक्स लेवल 4 (25500-81100 रुपए) में दस साल की नियमित सेवा के साथ प्रवर श्रेणी लिपिक। 2. सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा: पे मैट्रिक्स में लेवल 4 (25500-81100 रुपए) में पांच साल की नियमित सेवा के साथ प्रवर श्रेणी लिपिक। (सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा प्रसार भारती भर्ती बोर्ड द्वारा विज्ञापित/परिचालित योजना के अनुसार आयोजित की जाएगी)। टिप्पणी:- जहां पर कनिष्ठ जो अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर चुके हैं और पदोन्नति के लिए विचाराधीन हैं वहां उनके वरिष्ठ भी विचारणीय होंगे बशर्ते उनकी अर्हक अथवा पात्रता सेवा में कमी अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा कि आधी अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से अधिक न हो एवं जिन्होंने अगली ग्रेड में पदोन्नति के लिए उनके कनिष्ठ जिनकी अर्हक पात्रता सेवा पूरी है के साथ परीवीक्षाकाल सफलता पूर्वक पूरा कर लिया है।	विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) शामिल होंगे:- 1. उप महानिदेशक (मानव संसाधन)/(प्रशासन), आकाशवाणी - अध्यक्ष; 2. उप महानिदेशक (मानव संसाधन)/(प्रशासन), दूरदर्शन- सदस्य; 3. निदेशक (मानव संसाधन)/(प्रशासन), आकाशवाणी - सदस्य। विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) में शामिल होंगे:- 1. उप महानिदेशक (मानव संसाधन)/(प्रशासन), आकाशवाणी - अध्यक्ष; 2. उप महानिदेशक (मानव संसाधन)/(प्रशासन), दूरदर्शन- सदस्य; 3. निदेशक (मानव संसाधन) /(प्रशासन), आकाशवाणी - सदस्य।

indiacode

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. प्रवर श्रेणी लिपिक	*** 2173 (2021)** *पदों में परिवर्तन कार्यमात्रा के अधीन होगा। टिप्पणी: पदों की संख्या ग्रेड के लिए स्वीकृत पदों की कुल संख्या है और किसी भी समय यह निगम में प्रतिनियुक्तिवत सरकारी कर्मचारियों और निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या से अधिक नहीं होगी।	समूह 'ग' के समकक्ष	लेवल 4 (25500-81100 रुपए)	गैर-चयन पद	लागू नहीं।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	(क) अनुपयुक्त को अस्वीकार करने के अधीन वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा 80%; (ख) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर पदोन्नति द्वारा 20% **टिप्पणी-** पदोन्नति कोटे में वर्ष विशेष में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को फीडर ग्रेड में दो श्रेणियों के कर्मचारियों द्वारा भरा जाएगा, अर्थात निगम में प्रतिनियुक्तिवत सरकारी कर्मचारी और निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा जैसा कि निगम द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

(11)	(12)
1. अनुपयुक्तो को अस्वीकार वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति के लिए अवर श्रेणी लिपिक जो पे मैट्रिक्स 2 (19900-63200 रुपये) में आकाशवाणी / दूरदर्शन केंद्रों या स्टेशनों में आठ साल की नियमित सेवा के साथ कार्यरत हैं। **2.** सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर पदोन्नति के लिए अवर श्रेणी लिपिक जो पे मैट्रिक्स 2 (19900-63200 रुपये) में आकाशवाणी / दूरदर्शन केंद्रों या स्टेशनों में पाँच साल की नियमित सेवा के साथ कार्यरत हैं। टिप्पणी:- जहां पर कनिष्ठ जो अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर चुके हैं और पदोन्नति के लिए विचाराधीन हैं वहां उनके वरिष्ठ भी विचारणीय होंगे बशर्ते उनकी अर्हक अथवा पात्रता सेवा में कमी अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा कि आधी अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से अधिक न हो एवं जिन्होंने अगली ग्रेड में पदोन्नति के लिए उनके कनिष्ठ जिनकी अर्हक पात्रता सेवा पूरी है के साथ परीवीक्षाकाल सफलता पूर्वक पूरा कर लिया है।	विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए):- 1. वरिष्ठ टाइम स्केल और उससे ऊपर के स्तर के स्टेशन या केंद्र प्रमुख: अध्यक्ष; (यदि किसी स्टेशन या केंद्र का प्रमुख वरिष्ठ टाइम स्केल की तुलना में कम रैंक का होता है, तो निकटतम स्टेशन या केंद्र का प्रमुख जो कम से कम वरिष्ठ टाइम स्केल के स्तर का हो)। 2. सहायक केंद्र निदेशक / सहायक निदेशक (कार्यक्रम) या सहायक केंद्र अभियंता / सहायक निदेशक (अभियांत्रिकी): सदस्य; **3.** वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी: सदस्य।

IndiaCode

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. अवर श्रेणी लिपिक	* 2286 (2021) *पदों में परिवर्तन कार्यमात्रा के अधीन होगा। टिप्पणी: पदों की संख्या ग्रेड के लिए स्वीकृत पदों की कुल संख्या है और किसी भी समय यह निगम में प्रतिनियुक्तिवत सरकारी कर्मचारियों और निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या से अधिक नहीं होगी।	समूह 'ग' के समकक्ष	लेवल 2 (19900-63200 रुपए)।	गैर-चयन पद।	**18** से **27** वर्ष के बीच (प्रसार भारती के कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक की छूट) टिप्पणी: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि प्रसार भारती भर्ती बोर्ड द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा या समकक्ष योग्यता । (ii) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से टाइपिंग टेस्ट पास होना चाहिए।	लागू नहीं।	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	(क) सीधी भर्ती से 85%; (ख) अनफिट को अस्वीकार करने के अधीन वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा 5%; और (ग) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर पदोन्नति द्वारा 10% **टिप्पणी-** पदोन्नति कोटे में वर्ष विशेष में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को फीडर ग्रेड में दो श्रेणियों के कर्मचारियों द्वारा भरा जाएगा, अर्थात निगम में प्रतिनियुक्तिवत सरकारी कर्मचारी और निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा, जैसा कि निगम द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

(11)	(12)
क. 5 प्रतिशत रिक्तियों मैं पदोन्नति के लिए: पे मैट्रिक्स के लेवल 1 (18000-56900 रुपये) में तीन वर्ष की नियमित सेवा के साथ और किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिक या समकक्ष योग्यता रखने वाले आकाशवाणी या दूरदर्शन के कर्मचारी। ख. सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर 10 प्रतिशत रिक्तियों में पदोन्नति के लिए: पे मैट्रिक्स के लेवल 1 (18000-56900 रुपये) में दो वर्ष की नियमित सेवा के साथ और किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिक या समकक्ष योग्यता रखने वाले आकाशवाणी या दूरदर्शन के कर्मचारी। (सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा प्रसार भारती भर्ती बोर्ड द्वारा विज्ञापित/परिचालित परीक्षा योजना के अनुसार आयोजित की जाएगी।	<u>विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए):-</u> 1. वरिष्ठ समय स्केल और उससे ऊपर के स्तर के स्टेशन या केंद्र प्रमुख: **अध्यक्ष;** (यदि किसी स्टेशन या केंद्र का प्रमुख वरिष्ठ समयमान वेतनमान की तुलना में कम रैंक का होता है, तो निकटतम स्टेशन या केंद्र का प्रमुख जो कम से कम वरिष्ठ समयमान वेतनमान के स्तर का होता है अध्यक्ष होगा)। 2. सहायक केंद्र निदेशक/सहायक निदेशक (कार्यक्रम) या सहायक केंद्र अभियंता/सहायक निदेशक (अभियांत्रिकी): **सदस्य;** 3. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी:

IndiaCode

टिप्पणी 1: यदि परीक्षा में अर्हता प्राप्त उपलब्ध कर्मचारियों कि संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक है तो ऐसे अतिरिक्त कर्मचारियों को बाद के वर्षों में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा परंतु एक पूर्व परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को बाद की परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वालों से पहले विचार किया जाएगा। टिप्पणी:- जहां पर कनिष्ठ जो अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर चुके हैं और पदोन्नति के लिए विचाराधीन हैं वहां उनके वरिष्ठ भी विचारणीय होंगे बशर्ते उनकी अर्हक अथवा पात्रता सेवा में कमी अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा कि आधी अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से अधिक न हो एवं जिन्होंने अगली ग्रेड में पदोन्नति के लिए उनके कनिष्ठ जिनकी अर्हक पात्रता सेवा पूरी है के साथ परीवीक्षाकाल सफलता पूर्वक पूरा कर लिया है।	**सदस्य** विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए):- 1. वरिष्ठ टाइम स्केल और उससे ऊपर के स्तर के स्टेशन या केंद्र प्रमुख: **अध्यक्ष;** (यदि किसी स्टेशन या केंद्र के प्रमुख वरिष्ठ टाइम स्केल की तुलना में कम रैंक के है, तो निकटतम स्टेशन या केंद्र के प्रमुख जो कम से कम वरिष्ठ टाइम स्केल के स्तर के हैं अध्यक्ष होंगे)। 2. सहायक केंद्र निदेशक/सहायक निदेशक (कार्यक्रम) या सहायक केंद्र अभियंता/सहायक निदेशक (अभियांत्रिकी): **सदस्य;** 3. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी: **सदस्य**

मुक्ता गोयल, अपर महानिदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./252/2021-22]

PRASAR BHARATI

(Broadcasting Corporation of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2021

No. N-10/001(4)/2015-PBRB.—In exercise of the powers conferred by clause (c) and clause (d) of sub-section (2) of section 33 read with sub-section(2) of section 9 and sub-section (5) of section 11 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990), and in supersession of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) (Junior Administrative and Allied posts) Service Regulations, 2002 in so far as they relate to the posts of Upper Division Clerk and Lower Division Clerk and the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) (Head Clerk/ Assistant) Recruitment Regulations, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India), with the prior approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These Regulations may be called the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Junior Administrative Posts Recruitment Regulations, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.-** These regulations shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these regulations.

3. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.** – The number of posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc**. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (12) of the aforesaid Schedule.

5. **Seniority** - The inter-se seniority of employees who are appointed under these regulations shall be in accordance with the general instructions issued by the Department of Personnel and Training from time to time.

6. **Disqualification.** - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

7. **Power to relax** – Where the Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and with the prior approval of the Central Government, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

8. **Saving** - Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	**Number of posts.**	**Classification**	**Level in the pay matrix**	**Whether selection post or non selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Head Clerk/ Assistant	*561(2021) *(subject to variation dependent on workload). **Note:** The number of posts in each grade is the total number of the posts sanctioned for that grade and at any time, it shall not exceed the aggregate number of posts occupied by the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation.	Equivalent to Group 'B'.	Level 6 (Rs. 35400-112400).	Selection post.	Not exceeding 30 years. (Relaxable for employees of Prasar Bharati up to five years) **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by Prasar Bharati Recruitment Board.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.**
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Bachelor's degree from a recognised University; (ii) Should pass typing test at the speed of 35 words	Not applicable.	Two years.	(i) Sixty percent by promotion; (ii) Twenty percent by promotion on the basis of Limited Departmental Competitive Examination; (iii) Twenty percent by direct recruitment. Note 1: The vacancies arising in a particular year in promotion quota shall be filled up by two categories of employees in the feeder grades, that is, the Government servants on deemed

IndiaCode

per minute in English or 30 words per Minute in Hindi on computer.			deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation, as may be decided by the Corporation.

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grades from which promotion or deputation / absorption to be made.	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition**
(11)	(12)
1. **By Promotion**: Upper Division Clerk in level 4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix with ten years' regular service in the grade. 2. **By Limited Departmental Competitive Examination:** Upper Division Clerk in level 4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix with five years' regular service in the grade. (The Limited Departmental Competitive Examination shall be held as per the scheme of examination advertised/ circulated by Prasar Bharati Recruitment Board). **Note: -** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered, their seniors would also be considered provided they are not short of requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Deputy Director General (Human Resource)/ (Administration), Akashvani - Chairperson; 2. Deputy Director General (Human Resource)/ (Administration), Doordarshan- Member; 3. Director (Human Resource)/(Administration), Akashvani - Member. Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Deputy Director General (Human Resource)/ (Administration), Akashvani - Chairperson; 2. Deputy Director General (Human Resource)/ (Administration), Doordarshan- Member; 3. Director (Human Resource)/ (Administration), Akashvani - Member.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Upper Division Clerk	*2173(2021) *(subject to variation dependent on workload) **Note:** The number of posts in each grade is the total number of the posts sanctioned for that grade and at any time, it shall not exceed the aggregate number of posts occupied by the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation.	Equivalent to Group 'C'	Level 4 (Rs. 25500-81100)	Non- selection post.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	(a) Eighty percent by promotion on the basis of seniority subject to rejection of the unfit; (b) twenty percent by promotion on the basis of Limited Departmental Competitive Examination. Note- The vacancies arising in a particular year in promotion quota shall be filled up by two categories of employees in the feeder grades, i.e., the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation, as may be decided by the Corporation.

(11)	(12)
1. **By Promotion on the basis of seniority subject to rejection of the unfit from amongst** Lower Division Clerks or equivalent in level 2 (Rs. 19900-63200) in the pay matrix working in Akashvani/ Doordarshan Kendras or Stations with eight years regular service in the grade; **2. By promotion on the basis of Limited Departmental Competitive Examination from amongst** Lower Division Clerks in level 2 (Rs. 19900-63200) in the pay matrix working in Akashvani or Doordarshan Kendras or Stations with five years regular service in the grade. (The Limited Departmental Competitive Examination shall be held as per the scheme of examination advertised/ circulated by Prasar Bharati Recruitment Board) Note: - Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered, their senior would also be considered provided they are not short of requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Station or kendra Head of the level of Senior Time Scale and above: C**hairman;** (In case the Head of a Station or kendra is of a rank lower than that of Senior Time Scale, the Head of the nearest Station or Kendra who is at least of the level of Senior Time Scale). 2. Assistant Station Director/Assistant Director (Programme) or Assistant Station Engineer/ Assistant Director (Engineering): **Member;** 3. Senior Administrative Officer or Administrative Officer: **Member.**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Lower Division Clerk	*2286 (2021) *subject to variation dependent on workload. **Note:** The number of posts in each grade is the total number of the posts sanctioned for that grade and at any time, it shall not exceed the aggregate number of posts occupied by the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation.	Equivalent to Group 'C'	Level 2 (Rs. 19900-63200).	Non-selection post.	Between 18 and 27 years (Relaxable for employees of Prasar Bharati up to five years) **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by Prasar Bharati Recruitment Board.

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) 12th Class or equivalent qualification from a recognised Board or University. (ii) a typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on computer.	Not applicable.	Two years for direct recruits.	(a) Eighty five percent by direct recruitment; (b) five percent by promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit; and (c) ten percent by promotion on the basis of Limited Departmental Competitive Examination. Note: The vacancies arising in a particular year in promotion quota shall be filled up by two categories of employees in the feeder grades, i.e., the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation, as may be decided by the Corporation.

(11)	(12)
A. By Promotion to the 5% vacancies from amongst employees of Akashvani or Doordarshan having three years regular service in the post in level 1 (Rs. 18000-56900) in the pay matrix and possessing Matriculation or equivalent qualification from a recognised Board or University. B. By Promotion to the 10% vacancies on the basis of Limited Departmental Competitive Examination: Employees of Akashvani or Doordarshan with two years regular service in the post in level 1 (Rs. 18000-56900) in the pay matrix and possessing Matriculation or equivalent qualification from a recognised Board or University. (The Limited Departmental Competitive Examination shall be held as per the scheme of examination advertised/ circulated by Prasar Bharati Recruitment Board). Note 1: If more of such employees than the number of available vacancies qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination. Note: - Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered, their senior would also be considered provided they are not short of requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	<u>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</u> 1. Station or Kendra Head of the level of Senior Time Scale and above: **Chairman;** (In case the Head of a Station or Kendra is of a rank lower than that of Senior Time Scale , the Head of the nearest Station or Kendra who is at least of the level of Senior Time Scale will be the Chairman). 2. Assistant Station Director/Assistant Director (Programme) or Assistant Station Engineer/ Assistant Director (Engineering): **Member;** 3. Senior Administrative Officer or Administrative Officer: **Member.** <u>Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</u> 1. Station or Kendra Head of the level of Senior Time Scale and above: **Chairman;** (In case the Head of a Station or Kendra is of a rank lower than that of Senior Time Scale, the Head of the nearest Station or Kendra who is at least of the level of Senior Time Scale will be the Chairman). 2. Assistant Station Director/Assistant Director (Programme) or Assistant Station Engineer/ Assistant Director (Engineering): **Member;** 3. Senior Administrative Officer or Administrative Officer: **Member.**

MUKTA GOEL, Addl. Director General

[ADVT.-III/4/Exty./252/2021-22]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.09.11 11:13:28 +05'30'